रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 1—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 222] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 24, 1968/पौष 3, 1890
No. 222] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 24, 1968/PAUSA 3, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December 1968

G.S.R. 2233.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter hereby specifies every establishment of—

1. Attorneys, as defined in the Advocates Act, 1961 (25 of 1961).
2. Chartered or registered accountants, as defined in the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949),
3. Cost and Works Accountants within the meaning of the Cost and Works Accountants Act, 1959 (23 of 1959),
4. Engineers and engineering contractors, not being exclusively engaged in building and construction industry, and
5. Architects,

in which fifty or more persons are employed, as an establishment to which the said proviso shall apply with effect from the 1st January, 1969.

[No. 15/1/67-PF-II(i).]

S. T. MERANI, Jt. Secy.

श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और नियोजन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1968

सा०का०नि० 2234.—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, मामले में आवश्यक जाँच करने के पश्चात्,—

1. अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) में यथा परिभाषित अधिवक्ताओं,

2 चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) में यथा परिभाषित, चार्टर्ड एकाउन्टेंट या रजिस्ट्रीकृत लेखापाल,

3. कास्ट एन्ड वर्क्स एकाउन्टेंट्स अधिनियम, 1959 (1959 का 23) के अर्थ में कास्ट और वर्क्स एकाउन्टेंट्स,

4. इंजीनियर और इंजीनियरी ठेकेदार, जो निर्माण और सन्निर्माण उद्योग में मार्गदर्शन कार्य में नहीं लगे हुए हैं; और

5 स्थपति,

के हर स्थापन को, जिसमे पचास या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, ऐसे स्थापना के रूप मे एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है जिसे उक्त परन्तुक 1 जनवरी, 1969 से लागू होगा।

[स० 15/1/67-पी०एफ०-2 (I)]

एस० टी० मिरानी, संयुक्त सचिव।

New Delhi, the 24th December 1968

G.S.R. 2235.—In exercise of the powers conferred by the first proviso to section 6 of the Employees' Provident Funds Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government, after making necessary enquiry into the matter, hereby specifies every establishment which is a factory engaged in the manufacture of any of the items mentioned in the Schedule below, and in which fifty or more persons are employed, as an establishment to which the said proviso shall apply with effect from the 1st January, 1969.

SCHEDULE

1. Aerated water, soft drinks or Carbonated water,

2. Distilling and rectifying of spirits (not falling under industrial and power alcohol) and blending of spirits;

3. Paint and Varnish;

4. Pickers; and

5 Milk and Milk Products.

[No. 15/1/67 PF-II(ii)]

S. T. MERANI, Jt. Secy

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1968

सा०का० नि० 2236.—कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 6 के प्रथम परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, मामले में आवश्यक जांच करने के पश्चात, हर ऐसे स्थापन को, जो नीचे की अनुसूची में वर्णित मदों में से किसी के विनिर्माण में लगा हुआ एक कारखाना है, और जिसमें पचास या अधिक व्यक्ति नियोजित हैं, ऐसे स्थापन के रूप में एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करती है जिसे उक्त परन्तुक 1 जनवरी, 1969 से लागू होगा।

अनसूची

1. आसवित पेय, मृदुपेय या कार्बनीकृत जल;
2. उन स्पिरिटों का (जो औद्योगिक और पावर ऐल्कोहाल के अन्तर्गत नहीं आती हैं) आसवन और परिशोधन और स्पिरिटों का समिश्रण;
3. पेंट और वार्निश;
4. पिकर; तथा
5. दूध और दूध से बनी चीजें।

[सं० 15/1/67-पी० एफ० 2 (ii)]
एस० टी० मिरानी, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1968